


रवीन्द्र बनाम दुलीचन्द वगै०

मु०नं० 144/2018

प्रार्थना पत्र 212

दिनांक -09.10.2020 वकील पक्षकारान उपस्थित। मूल दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जा चुका है। अब इस पत्रावली में आगे कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता मूल दावे के संलग्न रहें।


उपखण्ड (असिस्टेंट) सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

